(5)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर – 6/2016 उनवान **दयाराम बनाम रणजित** प्रार्थना–पत्र बाबत जमीन खसरा न. 1101 व 1102 वाके ग्राम इण्डाली में पत्थर गढी करवाने बाबत.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
09.05.2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वारा अभियान–2018" कैम्प मुकाम ग्राम पंचायत इण्डाली में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में ली गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि जमीन खसरा न. 1101, 1102 कुल किता 2 कुल रकबा 1.88 हैक्टर वाके ग्राम इण्डाली का खातेदार काश्तकार है। उक्त जमीन में प्रार्थी ने मैदानी बोरिंग करवाकर उसमें विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा अपना आवासीय मकान भी बना रखा है। उक्त जमीन की नपती दिनांक 13.06.2015 को हल्का पटवारी से करवाई गई। जिसमें मौके पर जरीब चलाकर सीमाज्ञान करा दिया गया है। अब वादी के खेत की जमीन खसरा न. 1101 व 1102 की भूमि उक्त खेत के उत्तरी–दक्षिणी खेतो में दबी होना मौके पर पाया गया। इसलिए वादी अपने खेत की पत्थर गढी करवानी आवश्यक हुई। अतः वादी/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन खसरा न. 1101 व 1102 रकबा 1.88 हैक्टर वाके ग्राम इण्डाली की मौके पर सही नपती करवाई जाकर पत्थर गढी मशीन की मदद से करवाई जाने के लिए प्रतिवादी/अप्रार्थी न. 10 तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित करने का निवेदन किया है। उक्तानुसार प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना–पत्र तलब किया गया। अप्राथी न. 1 लगायत 9 बावजुद तामील के न्यायालय में उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 15.03.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व सीमाज्ञान फर्द दिनांक 13.06.2015 का अवलोकन करते हुए बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया गया। उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र पत्थर गढी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः **आदेशः–** उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत करवाने पत्थर गढी स्वीकार किया जाकर जमीन खसरा न. 1101 व 1102 रकबा 1.88 हैक्टर वाके ग्राम इण्डाली बाबत तहसीलदार झुंझुनू को प्रार्थी (वादी) के स्वयं के खर्चे पर मुताबिक सीमाज्ञान फर्द दिनांक 13.06.2015 के अनुसार पत्थर गढी करवावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एंव बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश कैम्प मुकाम ग्राम पंचायत इण्डाली में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	

Scanned by CamScanner